बिहार विधान-सभा

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति

कल्याण समिति

१९८०-८१

का

१३वां प्रतिवेदन

हजारीबाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कल्याण विभाग द्वारा मिलनेवाली चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधा एवं कानूनी सहायता के सम्बन्ध में।

बिहार विधान-सभा सचिवालय
(कल्याण समिति-शाखा)
पटना, १९८२ ई०

(सदन में उपस्थापित करने की तिथि ....)

अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय बिहार पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९८२

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
१.	प्रस्तावना	क
२.	समिति का गठन	ख–ग
३.	विषय-प्रवेश	घ
४.	प्रतिवेदन	१–४
५	सिफारिशों का सारांश	५
६.	परिशिष्ट	६–८

160/19 एल० ए०

प्रस्तावना

मैं, सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा की हैसियत से समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (१९८०-८१) हजारीबाग जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधा एवं कानूनी सहायता के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सामान्य जनता के स्तर पर लाने के अभिप्राय से उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं में चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधा एवं कानूनी सहायता के कार्यों की समीक्षा कर इस समिति की उप-समिति (३) ने हजारीबाग जिला में इन जातियों को मिलनेवाली सुविधाओं एवं सहायताओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जांच के क्रम में उप-समिति (३) ने स्थल अध्ययन कर आवश्यक सूचनायें प्राप्त की। विभागों से प्राप्त अभिलेख, पदाधिकारियों से विचार-विमर्श एवं स्थल अध्ययन के क्रम में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है जो उप-समिति (३) की दिनांक २० मार्च, १९८२ की बैठक में स्वीकृत किया गया तथा दिनांक २२ मार्च, १९८२ की बैठक में मुख्य समिति ने इसे अनुमोदित किया।

प्रतिवेदन तीन खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में विषय प्रवेश, द्वितीय खंड में प्रतिवेदन एवं तृतीय खंड में सिफारिशों का सारांश है।

आवश्यक सामग्री एवं जानकारी उपलब्ध कराने तथा समिति की स्थल-अध्ययन यात्राओं में सहयोग देने के लिए समिति कल्याण विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देती है। विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण तथा कर्मचारी-गण ने समिति के कार्य को विशेष लगन के साथ किया है, उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

एस० के० बागे
सभापति
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा, पटना।

पटना
दिनांक मार्च, १९८२ ई०।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति के सदस्यगण

सभापति

(१) श्री एस० के० बागे, स० वि० स०

सदस्यगण

(२) श्री बनचारी राम, स० वि० स०
(३) श्री मुनी सिंह, स० वि० स०
(४) श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स०
(५) श्री जॉन हेम्ब्रम, स० वि० स०
(६) श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०
(७) श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०
(८) श्री महेश राम, स० वि० स०
(९) श्री संजीव प्रसाद टांनी स० वि० स०
(१०) श्री विजय नारायण भारती, स० वि० स०
(११) श्री नवल किशोर भारती, स० वि० स०
(१२) श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई, स० वि० स०
(१३) श्री टीका राम मांझी, स० वि० स०
(१४) श्री जगदीश चौधरी, स० वि० स०
(१५) श्री राम लखन राम 'रमण', स० वि० स०
(१६) श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०
(१७) श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स० वि० स०
(१८) श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०
(१९) श्री हारू रजवार, स० वि० स०
(२०) श्री करिया मुंडा, स० वि० स०
(२१) श्री दुती पाहन, स० वि० प०
(२२) श्री सामुचरण तुबिद, स० वि० प०
(२३) श्री बुद्धराम भगत, स० वि० प०
(२४) श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० प०
(२५) श्री इन्द्र कुमार, स० वि० प०
(२६) श्री परमेश्वर, स० वि० प०
(२७) सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०
(२८) रिक्त ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (३) के सदस्यगण, १९८१-८२ ।

सदस्य का नाम

(१) श्री महेश राम, स० वि० स०—संयोजक

सदस्यगण

(२) श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० प०

(३) श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० प०

(४) श्री बुद्धराम भगत, स० वि० प०

(५) श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(६) श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०

(७) श्री परमेश्वर, स० वि० प०

(८) श्री हारू रजवार, स० वि० स०

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (४) के सदस्यगण १९८०-८१

(१) श्री महेश राम, स० वि० स०—संयोजक

(२) श्री देवीपद उपाध्याय, म० वि० प०—सदस्य

(३) श्री दुती पाहन, स० वि० प०—सदस्य

(४) श्री सूर्यदेव सिंह, म० वि० स०—सदस्य

(५) श्री हारू रजवार, स० वि० स०—सदस्य

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(१) सचिव, श्री राम नरेश ठाकुर ।

(२) अवर सचिव, श्री अर्जुन प्रसाद ।

(३) अवर सचिव, श्री शिव प्रसाद शाह ।

(४) प्रशाखा पदाधिकारी, श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह ।

(५) प्रभारी सहासक, श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय ।

(६) प्रभारी सहायक, श्री श्याम देव चौधरी ।

विषय-प्रवेश

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रावधान को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा कल्याण विभाग के अन्तर्गत हरिजन, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

शैक्षणिक योजनायें

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं, इन्हें सामान्य जनता के स्तर पर लाने हेतु शैक्षणिक सुविधा प्रदान की गयी हैं। शैक्षणिक सुविधाओं में मुख्यतः विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रावैधिक संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं को छात्र-वृति देना, शिक्षा एवं परीक्षा शुल्क में छूट देना विद्यालयों में पुस्तक अनुदान, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन आदि हैं।

कानूनी सहायता

मुकदमें में फंसे हरिजनों एवं आदिवासियों को वैधिक सहायता प्रदान की जाती है। १६७६-८० वर्ष में हरिजन को २,४३,७०० रुपये एवं आदिवासी को १,२०,७०० रुपये उपबंध किया गया था। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष १६८०-८१ में इस योजना पर हरिजनों के लिए २,४३,७०० तथा आदिवासियों के लिए ४,२०,७०० रुपये का उपबंध किया गया है। आदिवासियों की जमीन वापसी से संबंधित मुकदमा लड़ने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

चिकित्सा सुविधा

इस योजना के अन्तर्गत हरिजनों एवं आदिवासियों को सख्त बीमारी तथा साध्य रोग में चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। १६७६-८० में इस योजना में हरिजन को २,५०,००० एवं आदिवासी को १,००,००० राशि का उपबंध किया गया। १६८०-८१ में भी दोनों जातियों को ४ लाख रुपया का उपबंध किया गया इसके अलावे आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र एवं कुष्ठ निवारण केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

उपर्युक्त योजनायें राज्य के सभी जिलों में कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं। हजारीबाग जिला के स्थल अध्ययन के क्रम मे समिति शैक्षणिक सुविधा कानूनी सहायता एवं चिकित्सा सुविधा पर विचार-विमर्श किया है।

प्रतिवेदन

इस राज्य के हजारीबाग जिला में अनुसूचित जाति की जन संख्या-१,८४,१७७ तथा अनुसूचित जन-जाति की जन संख्या १,२६,८८६ है। इस जिला के सामान्य जन संख्या के अनुपात में इन दोनों जातियों का प्रतिशत क्रमशः ११ एवं ८ है। इन जातियों को सरकार द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधा एवं कानूनी सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को चिकित्सा सुविधा हेतु अनुदान दिया जाता है। असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को अनुदान दिया जाता है। अनुदान लेने के लिए बीमार व्यक्ति प्रखंड के डाक्टर से आवेदन-पत्र अग्रसारित कराकर देते हैं। जिला में २०० रु० प्रति बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। सरकार द्वारा हजारीबाग जिला में राशि आवंटन का विवरण इस प्रकार है :--

	प्राप्त आवंटन			खर्च		
	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-७१	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१
हरिजन:	५,५००	८,६००	४,५७६	५,५००	८,६००	४,४७६
आदिवासी	१,६००	..	..	१,६००	..	..

(२) उपर्युक्त आवंटन से विदित होता है कि जातियों को १९८०-८१ वर्ष में ४,५७६ रु० चिकित्सा अनुदान दिया गया है तथा अनुसूचित जन-जातियों को चिकित्सा अनुदान नहीं दिया गया है जबकि उनकी आबादी ८ प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की संख्या ११ प्रतिशत है। उनके लिए भी आवंटित राशि कम है। समिति की सिफारिश है कि अनुसूचित जन-जातियों की चिकित्सा अनुदान मद में पर्याप्त राशि आवंटित की जाय तथा अनुसूचित जाति के आवंटन में वृद्धि की जाय।

(३) कानूनी सहायता—समिति ने अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन-जाति को मिलने वाली कानूनी सहायता के संबंध में कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं उपायुक्त, हजारीबाग से विचार-विमर्श किया। हजारीबाग जिला में हरिजनों एवं आदिवासियों का मुकदमा लड़ने, कानूनी सहायता प्राप्त कराने की कल्याण

विभाग की योजना है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष राशि ग्रावंटित की जाती है। जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग ने निम्नलिखित ग्रावंटन एवं खर्च का विस्तृत व्योरा दिया है (परिशिष्ट १)

	प्राप्त ग्रावंटन			खर्च		
	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१
हरिजन:	१०,०००	१६,३७०	४,९७०	१०,०००	१०,०७०	५५०
ग्रादिवासी	१,३००	१,३००	१ ३००	१,३००	१,३००	शून्य

(४) कानूनी सहायता के मद में हजारीबाग जिला को ग्राबादी के ग्रनुपात से ग्रावंटन कम है जिसके कारण समुचित ढंग से बंटवारा नहीं हो पाता है। १९८०-८१ में कानूनी सहायता के मद में ६ हजार २७० रुपये का ग्रावंटन है। इतने कम ग्रावंटन से पूरी तरह से कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। ग्रावेदन-पत्र पर मीटिंग में विचार किया जाता है ग्रौर किसी को सौ तो किसी को डेढ़ सौ रुपया दिया जाता है, बिल्कुल ग्रपर्याप्त है। इसलिए इस ग्रावंटन में वृद्धि की ग्रावश्यकता है। समिति की सिफारिश है कि कानूनी सहायता के लिये ग्रावंटन की राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाय।

(५) शैक्षणिक सुविधा—शैक्षणिक सुविधा के मद में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कार देने हेतु आवंटन दिया गया है। हर मद में ग्रलग-ग्रलग राशि ग्रावंटित है। हजारीबाग जिला में निम्न प्रकार से प्रतिवर्ष प्रति मद में राशि आवंटित की गयी है। (परिशिष्ट-११)

हरिजन

	प्राप्त आवंटन			खर्च		
विद्यालय छात्रवृत्ति ..	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१
छात्रवृत्ति ...	५,४६,८००	५,१५,८००	४,८१,८००	५,४६,८००	५,१५,८००	४,४८,१००
	२,१५,०००	२,१५,०००	२,००,०००	२,१५,०००	२,१५,०००	१,५३,२४३
आई० टी० आई० छात्रवृत्ति	२६,८००	१७,९५५	२५,०००	२६,८००	१७,३७०	५,१७५
मेधावी छात्रों को पुरस्कार	शून्य	१,१००	१,०००	शून्य	शून्य	शून्य

आदिवासी

विद्यालय की छात्रवृत्ति	४,८८,०००	४,१८,७२०	३,९५,०००	२,८८,०००	४,१८,७२०	३,९५,०००
कालेज की छात्रवृत्ति	३,४५,०००	२,९५,०००	३,५०,०००	३,४५,०००	२,९५,०००	९३,९३५
आई० टी० आई० छात्रवृत्ति	१५,०००	२०,०००	१५,०००	१५,०००	१४,७१५	शून्य
मेधावी छात्रवृत्ति ..	..	१,१५०	...	...	शून्य	.

(६) छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समिति को जिला कल्याण पदाधिकारी तथा उपायुक्त, हजारीबाग से जानकारी मिली कि स्कूलों के लिए गत वर्ष ५ लाख १५ हजार ८०० रुपये तथा इस साल ४ लाख ८१ हजार ८०० रुपया छात्रवृत्ति के मद में प्राप्त हुआ। अब पास बुक के माध्यम से लड़कों की छात्रवृत्ति दी जाती है। लड़कों के नाम से पास बुक पोस्ट आफिस में खोलवा दिया जाता है और छात्रवृत्ति की रकम पास बुक में जमा करा दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर छात्र इससे रुपया निकालते हैं। कुल आवंटन पिछले साल ५ लाख रुपए का था, उसमें से रिनुवल में ही अधिक रकम चला गया। इस साल ४ लाख रुपए ही मिले हैं तो इससे केवल रिनुवल ही हो सकता है। इसके लिए हमलोगों ने अधिक रुपए की मांग सरकार से की है। नये लोगों को छात्रवृत्ति देने के लिए हमलोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए अधिक रुपए की मांग की गयी है। अभी जितना रुपया दिया गया है, उससे सबों का रिनुवल भी नहीं हो सकता है। वर्ग १ से ७ तक छात्रवृत्ति के भुगतानार्थ बी० डी० ओ० सक्षम हैं, वही उसके चेयरमैन हैं, कमिटी बनाकर उन्हीं को पेमेंट करना है। अवर सचिव कल्याण ने समिति को जानकारी दी कि छात्रवृत्ति के लिए रुपया बहुत बढ़ने जा रहा है। अनुसूचित जन-जातियों के लिए साढ़े ६६ लाख रुपए भारत सरकार से स्पेशल प्रोग्राम के अन्तर्गत मिला है। टोटल १७० लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों को छात्रवृत्ति के लिए मिला है और यह रुपया जिलों को जल्द ही प्राप्य है। समिति की सिफारिश है कि हजारीबाग जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि 1981 में कम की गयी है उसे बढ़ाई जाय क्योंकि इस वर्ष छात्रवृत्ति रिनुवल करने पर ही राशि का आवंटन हुआ है। स्पेशल प्रोग्राम में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से हजारीबाग जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अलावे अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के मद में उनके प्रतिशत के अनुपात से आवंटित किया जाय।

(७) अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रवृत्ति की राशि कम है तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए गत वर्ष से राशि का आवंटन नहीं किया गया है। समिति की सिफारिश है कि मेधावी छात्रवृत्ति की राशि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और अधिक बढ़ाई जाय और अनुसूचित जन-जाति के लिए उक्त मद म पर्याप्त राशि आवंटित की जाय।

सिफारिशों का सारांश

प्रतिवेदन की कंडिका

१. (२) समिति की सिफारिश है कि अनुसूचित जन-जातियों की चिकित्सा अनुदान मद में पर्याप्त राशि आवंटित की जाय तथा अनुसूचित जाति के लिए आवंटन राशि में वृद्धि की जाय।

२. (४) समिति की सिफारिश है कि कानूनी सहायता की राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित-जन जाति के लिए और अधिक आवंटित की जाय।

३. (७) समिति की सिफारिश है कि हजारीबाग जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि १९८१ में कम की गई है उसे बढ़ायी जाय, क्योंकि इस वर्ष छात्रवृत्ति रिन्युवल करने भर ही राशि का आवंटन हुआ है। स्पेशल प्रोग्राम में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से हजारीबाग जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अलावे अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के मद में उनके प्रतिशत के अनुपात से राशि का आवंटन किया जाय।

४. (७) समिति की सिफारिश है कि मेधावी छात्रवृति की राशि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और अधिक बढ़ाई जाय और अनुसूचित जन-जाति के लिए उक्त मद में पर्याप्त राशि आवंटित की जाय।

परिशिष्ट-१

हरिजन एवं आदिवासियों को अनुदान एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी तुलनात्मक विवरणी—आवंटन एवं खर्च (तीन वर्षों का)

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन			खर्च		
		१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१	१९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	चिकित्सा अनुदान	५,५००	८,६००	४,५७६	५,५००	८,६००	४,५७६
२	वैधिक सहायता	१०,०००	१६,३७०	४,९७०	१०,०००	१०,०७०	५५०
३	कृषि अनुदान	३९,५००	१२,०००	..	३९,५००	१२,०००	..
४	अत्याचार अनुदान	१५,०००	२,०००	..	१५,०००	२,०००	..
५	हरिजन गृह निर्माण	२७,१८४	..	...	२७,१८४	६,०००	..
६	कुटिर उद्योग अनुदान	..	६,०००	..	..	..	..
७	मेधावी छात्रों को पुरस्कार	शून्य	१,१००	१,१००	शून्य	शून्य	शून्य

८	विद्यालय छात्रवृत्ति	५,४६,८००	५,१५,८००	४,८१,८००	५,४६,८००	५,१५,८००	४,४८,१००
९	कालेज छात्रवृत्ति	२,१५,०००	२,१५,०००	२,०००००	२,१५,०००	२,१५,०००	१,५३,६४३
१०	आई०टी०आई०में	२६,८००	१७,६५५	२५,०००	२६,८००	१७,३७०	५,१७५
	आदिवासी—						
१	चिकित्सा अनुदान	१६,०००	..	..	१६,०००	..	..
२	वैधिक सहायता	१,३००	१,३००	१,३००	१,३००	१,३००	शून्य
३	कृषि अनुदान	६,०००	४,०००	..	६,०००	४,०००	शून्य
४	अत्याचार अनुदान	१०,०००	..	..	१०,०००	..	...
५	कुटिर उद्योग अनुदान	...	६,५००	..	..	६,५००	..
६	आदिम जन-जाति योजना	..	२,५०,०००	..	..	१७,७६६-५६	..
७	मेधावी छात्रों को पुरस्कार	..	१,१५०	..	..	शून्य	..

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन १९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१	खर्च १९७८-७९	१९७९-८०	१९८०-८१
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
८	विद्यालय छात्रवृति	४,८८,०००	४,१८,७२०	३,६५,०००	४,८८०,००	४,१८,७२०	३,६५,०००
९	कालेज छात्रवृति	३,४५,०००	२,६५,०००	३,४५,०००	३,४५,०००	२,६५,०००	६,६३,६३५
१०	आई०टी०आई० में छात्रवृत्ति	१५,०००	२०,०००	१५,०००	१५,०००	१४७१५	शून्य

ह०/अस्पष्ट

३-१२-१९८०

जिला कल्याण पदाधिकारी हजारीबाग ।

बि०स०शा०मु० (एल० ए०) १६०/१९--८००--२२-७-१९८२--न० प्रसाद ।